

जयपुर, दिनांक 14/06/2017

जयपुर, दिनांक 14 JUN 2017

आदेश

मुद्रयमती शहरी जन कल्याण योजना-2017 में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु एम्पावर्ड कमिटी का गठन माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग की अध्यक्षता किया गया है। उक्त एम्पावर्ड कमिटी की बैठक दिनांक 06.06.2017 को आयोजित की गयी।

उक्त बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में निम्नांकित निर्देश एतद्वारा दिये जाते हैं -

1. दिये आदेशों से सम्बन्धित प्रकरणों में प्रश्नगत भूमियों को नियमित निर्णय के अधीन सरकारी भूमि मानते हुए नियमन किया जावे। नियमन की दृष्टि विभागीय अधिसूचना दिनांक 21.09.2012 के अन्तर्गत ली जायेगी।

जयपुर शहर के सन्दर्भ में नगर निगम, जयपुर बनाम लेखराज सोनी से संबंधित विशेष अनुमति प्राधिकार के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जो प्रकरण न्यायालय में उपस्थित हैं एवं स्थान आदेश पंभाही के तहत प्रकरण न्यायालय में रिट होने के उपरान्त ही नियमन की कार्यवाही की जायेगी।

नियमन के अन्तर्गत भू-उपयोग के अनुरूप मॉके पर भू-उपयोग पाये जान पर निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही सड़कों की चौड़ाई उपलब्ध होने पर ही नियमन किया जायेगा।

2. जयपुर शहर में स्थित 67 कॉलोनी जिनकी भूमि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अवाप्त की गयी है परन्तु जिनका कब्जा नहीं लिया जा सका है के संबंध में निर्णय लिया गया कि जयपुर विकास प्राधिकरण एवं राजस्थान आवासन मण्डल दोनों संस्थाओं के अधिकारी समुक्त बैठक आयोजित कर सहमति बनाते हुए आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करें ताकि समस्या का निराकरण हो सके।

3. निम्नलिखित प्रकरणों में द्वारा 55 के तहत सहकारिता विभाग द्वारा जांच की जा रही है के संबंध में शीघ्र जांच कार्यवाही पूर्ण करने हेतु विभाग की ओर से सहकारिता विभाग को पत्र लिखा जाये। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसी कॉलोनियों की सूची प्रस्तुत की जाये जिनमें सहकारिता विभाग द्वारा की जा रही जांच के कारण नियमन की कार्यवाही संभव नहीं हो पा रही है।

4. अप्रत्याशित प्रगति सतोपजनक न होने का कारण व्यापक प्रचार प्रसार का अभाव एवं बिना किसी ठोस आधार के पट्टी हेतु प्राप्त आवेदन निरस्त किया जाना दृष्टिगत हो रहा है। अतः समस्त संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि समस्त पत्र आवेदकों को पट्टा जारी किया जाये। यदि किसी कारण से पट्टा नहीं दिया जा सकता है तो उसके स्पष्ट कारण अभिलिखित किये जायें। संस्थाप्रधान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बिना किसी ठोस आधार के किसी आवेदन पत्र को निरस्त न किया जाये एवं कोई भी पट्टा हेतु प्राप्त आवेदन पत्र बिना किसी ठोस आधार पत्र जारी न जाये।

इसके अतिरिक्त समिति द्वारा निर्देशित किया गया है कि सभी नगरीय विकास नियमित योग्य कॉलोनीयों की सूची उनमें अनुमोदित भूखण्डों की संख्या अब तक जारी किये गये पट्टों की संख्या व पट्टों से शेष रहे भूखण्डों की संख्या बाबत सूचना आगामी एक सप्ताह में प्राप्त की जावे। अतः समस्त संस्थाएं एक सप्ताह में उक्त सूचना विभाग को प्रेषित करें।

5. जयपुर शहर में आयोजित शिविरों की अत्यन्त कम प्रगति को देखते हुए अध्यक्ष एम्स गेड कमेटी द्वारा कृषि भूमियां जिन पर कॉलोनीयों बस चुकी है तथा जिनके पट्टे जारी हान शेष हैं के शिविर लगाने के निर्देश दिये गये। उक्त शिविर यथा संभव कॉलोनीयों में ही लगाये जावे, जिससे आम जन की भागीदारी अधिक हो सके।
6. दिनांक 17.06.1999 से पूर्व अस्तित्व में आयी कॉलोनीयों जिनमें वर्तमान में 10 प्रतिशत भूखण्डों पर निर्माण हो चुका है वहाँ पर सूओनोटो 90ए की कार्यवाही की जाकर विकास समिति के द्वारा दी गयी सूची अनुसार व मौके पर कब्जे के अनुसार पट्टे जारी किए जावें।

(जगजीत सिंह मोगा)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

क्रमांक प.2(30)-विधि / 2016

जयपुर, दिनांक

17.06.2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विरिष्ठ सहायक, मानवीय मंत्री महोदय नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, महापौर, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
6. निजी सचिव, मुख्य शासन सचिव, राजस्व विभाग।
7. निजी सचिव, संयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
8. निजी सचिव, जिला कलेक्टर, जयपुर।
9. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान आयोजन मण्डल, जयपुर।
10. निजी सचिव, आयुक्त, नगर निगम, जयपुर।
11. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
12. संयुक्त शासन सचिव, प्रमुख / द्वितीय / तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
13. सचिव, जयपुर / जयपुर / भण्डारा, विकास प्राधिकरण।
14. सचिव, राजस्थान आयोजन मण्डल, जयपुर।
15. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
16. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
17. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
18. उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
19. रक्षित फ़ाइलों।

श्रीहरन वरिष्ठ, श्रीहरन उपायुक्त, जयपुर

नमो नमो

92

15/6

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

17/6/17